

17.40 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

LEVY OF SURCHARGE ON M.I.G. FLATS BY DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY.

MR. CHAIRMAN: We will now take up Half-an-Hour discussion.

श्री राज बिजाल कस्तवान (हाजीपुर) :
समाप्ति महोदय, मेरी यह बात बच्चे की बर्बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मध्य प्राय वर्ग के फ्लैटों पर आधिपार लनाए जाने के सम्बन्ध में है। यह जो डी०डी०ए० में घोषणी चल रही है उससे सम्बन्धित है। मन्त्री महोदय काफ़ी पुराने हो गए हैं। डी०डी०ए० के मामलों में वह काफ़ी इष्टरेस्ट भी लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब तक उनको सभी चीजों की पूरी जानकारी हो गई होगी।

आज तक दर्जनों बार डी०डी०ए० के सम्बन्ध में तरह तरह के आर्जिज लनाए गए हैं। एक बार यह लगाया गया एम्प्लायीज मुनियन के जो सेक्रेटरी हैं श्री बर्मा उनकी तरफ से और सब के प्रैस कॉन्ट्रिब्यू मेरे पास हैं कि 33 करोड़ का घोटाला हुआ है। दूसरी बार यह लगाया गया कि सात करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। साथ ही यह भी लगाया गया कि जो अकसर डैपुटेसन पर प्रती तक डी०डी०ए० में हैं उन पर जिन की संख्या दस हजार के करीब है वेतन भत्तों के अतिरिक्त तीस लाख रुपया ज्यादा खर्च डी०डी०ए० को करना पड़ रहा है। बच्चा मारने के नाम पर एक लाख रुपया दिया गया था जिस में बड़ी घोषणी हुई। पुनर्वास के नाम पर 27 करोड़ रुपये मकान बनाने के लिए दिए गए थे लेकिन मुश्किल से दस करोड़ ही खर्च किए गए। सड़कों के किनारे लक्षियों लगाने के लिए जो 750 लगानी भी मुश्किल से लो ललाई गई और इस तरह से उस में घोटाला हुआ। एक पर साढ़े बार ली रुपया खर्च जाता है। इस हिसाब से आप देखें तो आपकी पता चलना कि कितना

बचकर बोटिंगा हुआ है। इन सब चीजों की मन्त्री महोदय बख चुके हैं।

लेकिन मुझ मुझ जो मैं आज उठना चाहता हूँ वह एक छोटी सी सुप का उठाना चाहता हूँ। उसके सम्बन्ध में मैंने तीन बार प्रश्न किये थे। एक प्रश्न के उत्तर को दूसरे प्रश्न के साथ मिला कर आप देखेंगे तो आपकी पता चल जाएगा कि उन उत्तरों में कितना कम्प्लेक्सन है। आप देखें कि एम०आई०जी० सुप के लिए जो मकान बनाए जाते हैं उनकी कीमत 68 हजार रुपया रखने का फैसला किया गया था। लेकिन बसुला गया सत्तर हजार रुपया प्रति फ्लैट। आप नियम को देखें। डी०डी०ए० के फ्लैट्स दिल्ली डिबेल्पमेंट एक्ट 1957 और दिल्ली डेवेलपमेंट (मैनेजमेंट एण्ड डिसपोजल ग्रोक हाउसिंग एस्टेट्स) रैग्युलेशन 1968 की गती के अनुसार घोषित होते हैं। दिल्ली डिबेल्पमेंट बिल 1957 के क्लॉज 51 और 52 से सम्बन्धित मैकोरैडन में स्पष्ट लिखा गया है कि पामिसी बनाने का अधिकार डी०डी०ए० को नहीं है। डी०डी०ए० को वह अधिक नहीं है कि वह किसी तरह की सबसिडी दे इस प्रकार से।

मेरे प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा था कि एक फ्लैट की कीमत 58000 होती है। जब इतनी होती है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने 70 हजार क्यों लिया और कैसे लिया। आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइण्ड ग्रोक अ्यू से यह किया गया है। यह क्या होता है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। इस तरह से लाखों रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइण्ड ग्रोक अ्यू से आपने लोगों से अतिरिक्त लिया है। एडमिनिस्ट्रेसन उसके प्रसर्पत माता है या नहीं यह देखने वाली चीज है।

मेरे प्रस्ताविक प्रश्न 161 जो 17 फरवरी 1978 का है उनके जवाब में मन्त्री महोदय ने कहा था कि दिल्ली विधान परिषद-विषय 1957 में अधिभार लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा था कि यह प्रशासनिक विषय है। फिर मेरे प्रश्न संख्या 247 के विहित उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा था कि उसी कालोनी के वैसे ही प्लैटों में अब कोई सबसिडी नहीं ली जा रही है। क्यों अधिभार लगाया गया इसका जवाब मन्त्री महोदय नहीं देते कि एल०आई०जी० और जनता प्लैट जो बन रहे हैं उन के लिए यह सरचार्ज लगाया गया है और इसलिए लगाया गया है कि उनको सबसिडी देनी है और जो कमी पड़ती है उसकी थोड़ी प्रति हो सके। मैं कहूँगा कि यह कौन नियम है? यह कौन सी लोकप्रियता है जो आप प्रयत्न करना चाहते थे। आपने एम०आई०जी० में बारह हजार बढ़ा दिए और यह कह दिया कि जनता प्लैट्स और एल०आई०जी० के जो प्लैट हैं उन के वास्ते आप ऐसा कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि आपको अधिभार लगाने का अधिकार नहीं था फिर अगर लगाना ही था तो सिकं चार कालोनीज में ही क्यों लगाया? उसी में क्यों लगाया जो कालोनी मन्त्री को? जो सब से बढ़िया कालोनियां थीं मैं नाम नहीं लेना चाहता हं, आप जानते हैं—वहाँ आपने इस चीज को एंवाई नहीं किया। वहाँ पर किया जिस को आप राजीरी नार्डन कहते हैं—मायापुरी—वहाँ पर जा कर आप दाम बढ़ाते हैं। दूसरी जगह पर आप दाम बढ़ा देते हैं। यदि आप दाम बढ़ाते हैं तो वे सब जगह बढ़ने चाहियें, लेकिन आप सब जगह पर दाम नहीं बढ़ाते हैं। कहीं आपने दाम बढ़ाये हैं 12,000 रुपये, कहीं 1,000 रुपये और कहीं पर दाम बढ़ाये ही नहीं गये हैं। मैं समझता हूँ कि यह कुछ अकसरनाही का नमूना है। मन्त्री महोदय उस विषय के प्रवर्तरी हैं, मैं जानता हूँ कि वह इस हाउस में उसको डिफेन्ड करेंगे, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वह इस बात को अपने

विषय में रखें कि एक ही जगह पर विभिन्न कालोनियों में दाम नियमों के अनुसार बढ़ा-या है या नहीं। एक जगह पर आप 12,000 रुपये चार्ज करते हैं, अब आप कहते हैं कि हम उसको हटा रहे हैं, तो जिन लोगों से आपने पहले ज्यादा चार्ज किया था, क्या आप उनको वह रकमा लौटाने जा रहे हैं? कई जगह आपने दामों को बढ़ाया ही नहीं।

मेरे पास यह एक विस्ट है कि आपने कितने कितने दाम बढ़ाये। राजीरी नार्डन में एम०आई०जी० के टाइप 'ए' और 'बी' में ग्राउण्ड फ्लोर प्लैट की डिस्कोजल कास्ट 58,100 रुपये है, लेकिन आपने फाइनली चार्ज किया 70,000 रुपये। फर्स्ट फ्लोर की डिस्कोजल कास्ट 57,500 रुपये थी, अब कि आपने फाइनली चार्ज किया 69,000 रुपये। इसी तरह सैकिण्ड फ्लोर की डिस्कोजल कास्ट 55,800 रुपये थी, लेकिन आपने फाइनली चार्ज किया 70,000 रुपये। टाइप 'सी' में ग्राउण्ड फ्लोर के प्लैट की डिस्कोजल कास्ट 63,700 रुपये थी, लेकिन उसका चार्ज किया 72,000 रुपये।

बडीरपुर में टाइप 'ए' और 'बी' के ग्राउण्ड फ्लोर की डिस्कोजल कास्ट 63,100 रुपये थी, लेकिन आपने फाइनली चार्ज किया 64,000 रुपये। वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर की डिस्कोजल कास्ट 57,200 रुपये थी, लेकिन आपने फाइनली चार्ज किया 59,000 रुपये। इसके बलावा भी प्लैट्स से मैनिटैन्स चार्ज आप लेते हैं। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि जब डी०डी०ए० प्लैट बेच देता है तो उसके बाद वह उसको मैनेटेन नहीं करता। अब आप प्लैट बेचने के बाद उसको मैनेटेन नहीं करते हैं तो फिर आपने मैनिटैन्स चार्ज क्यों रखे हुए हैं?

मैंने डी०डी०ए० के सिकं एक पहलू की तरफ आपका ध्यान दिलाया है। इसके बारे में मैंने और मेरे कई साथियों ने प्रश्न

[श्री राम विभागी: पश्चात्]

पूछ है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि एमजेली के दौरान वहाँ पर जो करणन हुआ है, अगर उसकी सही इन्फार्मरी जो जर्मनी में समझता हूँ कि डी०डी०ए० का बाटाला एक महाकाण्ड बन सकता है।

मैं अपनी महीयत से जानना चाहता हूँ कि क्या डी०डी०ए० के पास कोई ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह प्रचार लगा सकता है? यदि नहीं, तो किस आधार पर प्रचार लगाया गया है?

क्या एक ही वर्ष की दो कालोनियों में लोकप्रियता के आधार पर विष-विष रूप से प्रचार लगाया जा सकता है? यदि हाँ, तो लोकप्रियता का मापदण्ड क्या है? मैं इस सम्बन्ध में एक दो का नाम भी लेना चाहता हूँ जैसे कटचरिया मराय है, सुनीरका है, सफवरजंग है, उस के मुकाबले में मावापुती वगैरह है जिस में भाप ने प्रचार लगाया है, क्या यह अधिक लोकप्रिय है, क्या वह अधिक मुविधाजनक है या उस में कम मुविधाजनक है? क्या वहाँ ज्यादा लोगों ने झलाई किया है क्वैट्स के लिए या इन स्थानों में किया है?

मेरा अंतिम प्रश्न है कि जो मेंटिनेंस चार्ज अभी तक ले रहे थे फ्लैट के ऊपर, क्या सरकार अब के बाद जो फ्लैट आवंटन करेगी उस में इस नाम का कोई कालन नहीं रहेगा धीरे जो भाप ने ऐसा बयानका है, जैसा कि आपने कहा है कि इन स्थानों पर फिर सरकार नहीं लगाने जा रही है। सच मतलब है कि जो पत्रों के रेट पर मिलते थे

उस रेट पर देने को रहे हों इस बीच में जिन पत्रों को भाप ने रेट किया है उन को वह रेटो लौटाने जा रहे हैं?

सभापति महोदय: हाँ, एमजेली है।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Madagars): On a point of order, Sir. We have raised a very serious matter. The House should know before it adjourns. There is hardly any time. We should get a reply. You say that the House wants a reply before 6 o'clock. Please convey this.

MR. CHAIRMAN: The matter is with the Speaker. I am sure you will know in time.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Not on Monday. We understand something is going in. (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: That is your assumption.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: No, it is not assumption. It is a fact. (Interruptions).

श्री सुबराज (कटिहार): सभापति महोदय, मेरा एक प्वाइण्ट ऑफ इन्फार्मेशन है कि हाउस में कौरम नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Ring the bell.

There is no quorum. So, the House stands adjourned till 11 a.m. on 22 July.

11.56 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July 23, 1978/Bravara 9, 1900 (Saka).